न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-12RAAJodhpur2024-06RTA225 Onkarsingh ors Vs Narayansingh etc

1. औंकार सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह
2. शैतान सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह
3. सवाई सिंह पुत्र गणपत सिंह
   जातियान–राजपूत निवासीगण ग्राम बावडी तहसील बावड़ी जिला जोधपुर राजस्थान।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. नारायण सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह
2. खानुसिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह फौत के वारिसान
   2.1. भंवर सिंह पुत्र श्री खाबुसिंह
   2.2. भंवरी कंवर पुत्री खानुसिंह
   2.3. बहादुर सिंह पुत्र श्री खानुसिंह
   2.4. बदन कंवर पत्नि श्री आनुसिंह
3. हरी सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह
4. अनोप सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह
   जातियान–राजपूत निवासीगण–ग्राम बावड़ी तहसील बावड़ी जिला जोधपुर राजस्थान।
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 02 जनवरी 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 111/2022 नारायणसिंह व अन्य बनाम औंकार सिंह इत्यादि

उपस्थित–
श्री भंवरसिंह तापू, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री कानसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से चार
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या पांच

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 12 मार्च 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 111/2022 नारायणसिंह व अन्य बनाम औंकार सिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 02 जनवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 12 जनवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1698/4 रकबा 0.9223 हैक्टेयर ग्राम बावड़ी चक प्रथम में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1697 रकबा 0.6391 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.2751 हैक्टेयर में सें 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 जनवरी 2024 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक से चार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट्स की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद गौड़ ने दिनांक 31.07.2023 को नो–इंस्ट्रेक्शन प्लीड कर दिया था। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सम्मन जारी किये जाने का आदेश पारित किया था जो आदेशिका दिनांक 31.07.2023 से स्पष्ट है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय से अपीलान्ट्स के नाम किसी प्रकार के सम्मन जारी नही किये गये जो आदेशिका दिनांक 18.08.2023, 08.09.2023 से स्पष्ट है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना नोटिस जारी किये ही दिनांक 17.10.2023 को अपीलान्ट्स के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया तथा उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी खातेदारी भूमि में सें नवीन रास्ते का आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट्स को अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1698/4 में आने–जाने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लिये मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जिसका रेस्पोडेन्ट शुरू से ही उपयोग व उपभोग करते आ रहे है एवं अपीलान्ट की खातेदारी में किसी प्रकार का कोई रास्ता नही है। हल्का पटवारी ने मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्ते के विकल्पों की जाचं किये बिना मौंका रिपोर्ट तहसील कार्यालय में बैठकर मात्र साईक्लोस्टाईल तैयार की है तथा मात्र ई–नक्शा ऑनलाईन डाउनलोड कर ई–नक्शा पर ही रेस्पोडेन्ट के कहेनुसार खानापूर्ति कर झूठी एवं मनगढंत मौका जांच रिपोर्ट तैयार की है तथा अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1698 में रास्ते की लम्बाई 56 फीट एवं चौड़ाई 31 फीट मौका जांच रिपोर्ट में दशाई गई है। धारा 251–ए में विहित प्रावधानोंनुसार 31 फीट चौड़ा रास्ता किसी भी सूरत में नही दिया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में रास्ते की लंबाई चौड़ाई को स्पष्ट किये बिना तथा नियमानुसार प्रतिकर राशि की गणना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक सिद्धांतो के विपरित होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया किं अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 जनवरी 2024 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता लघुतम एवं निकटतम है जो मौके पर चलायमान है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ते का विकल्प नहीं बताया है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका फर्द के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 31.07.2023 को विचारण न्यायालय के समक्ष नो–इंस्ट्रक्शन प्लीड किये जाने के बाद विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को पुनः सम्मन जारी किये जाने के आदेश दिये गये, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर पुनः सम्मनों की तामील करवाये बिना उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये उनकी खातेदारी भूमि सें से रास्तें का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

मौका फर्द दिनांक 03 अगस्त 2023 के अवलोकन मुताबिक भू–अभिलेख निरीक्षक बावड़ी द्वारा पक्षकारान् को सूचित किये बिना उनकी अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है तथा खसरा नंबर 1698 में रास्ते की चौड़ाई 31 फीट रखते हुए रिपोर्ट तैयार की गई है। धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार अधिकतम 30 फीट चौड़ाई का ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना तथा अपीलाधीन आदेश में रास्ते की लंबाई व चौड़ाई को स्पष्ट किये बिना केवल रास्ते में काम में आने वाली भूमि का रकबा अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय पारित अपीलाधीन आदेश नॉन–स्पीकिंग आदेश एवं धारा 251–ए के प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 111/2022 नारायणसिंह व अन्य बनाम औंकार सिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 02 जनवरी 2024 निरस्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तों बाबत जांच रिपोर्ट उभय पक्ष की उपस्थिति में तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विहित प्रावधानोंनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर विधिसम्मत आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर